


2  
7/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार खक खक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्य-वाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आंर0ए0एस0)

मा- 12/23 प्रा0पत्र

श्री देवी लाल जीनगर निवासी- भैजिया तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री अलील देवी लाल जीनगर निवासी- भैजिया तहसील- माण्डल [तहसील]  
[संबंधित प्राणपत्र संलग्न]

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 07-02-23

::आदेश::

अधिका- 12/23 प्रा0पत्र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम... श्री लाल देवी लाल जीनगर... तहसील माण्डल में उसके खाते की आराजी नं. 201/2, 201/4 कुल कित्ता 02 एकवा. 00-6196 है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम श्री लाल देवी लाल जीनगर तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 201/2, 201/4 कुल कित्ता 02 एकवा. 00-6196 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील बिन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जायें। फंसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा